बिक्री की शर्तें और नियम

1. ई-नीलामी “ पर आयोिजत की जा रही है 25.07.2025 को सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच”पर "जैसा जो जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है, वह वहां है और िबना िकसी सहारे के आधार पर है।"
2. नीलामी/बोली वेबसाइट के माध्यम से “ऑन लाइन ई-नीलामी” की जाएगी https://ebkray.in/ स्वचािलत रूप से BAANKNET.com पर पुनः िनर्देिशत िकया जाएगा। URL: https://BAANKNET.com सुरक्िषत पिरसंपत्ितयों के िवरुद्ध नीचे उल्िलिखत समय और तारीख पर।
3. इच्छुक िनिवदाकर्ता वेब पोर्टल पर पंजीकरण करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड िनःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।https://ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration और ईएमडी इस पोर्टल के माध्यम से जमा की जा सकती है। इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है -https://ebkray.in/ स्वचािलत रूप से BAANKNET.com पर पुनः िनर्देिशत िकया जाएगा। URL: https://BAANKNET.com अिधक जानकारी, प्रक्िरया अनुपालन और िनयम व शर्तें डाउनलोड करने के िलए कृपया यहां जाएं https://ebkray.in/ स्वचािलत रूप से BAANKNET.com पर पुनः िनर्देिशत िकया जाएगा। URL: https://BAANKNET.com जहाँ "बोलीदाताओं के िलए िदशा-िनर्देश शैक्िषक वीिडयो के साथ उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को पहले से ही िनम्निलिखत औपचािरकताएँ पूरी करनी होंगी:

चरण 1: बोलीदाता/क्रेता/ख़रीदार पंजीकरण: बोलीदाता को पंजीकरण करना होगाई-नीलामी मंच (ऊपर िदया गया िलंक) पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आिद का उपयोग करके संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2: केवाईसी सत्यापन: बोलीदाता को अपेक्िषत केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन िकया जाएगा।

चरण 3: बोलीदाता के ईएमडी वॉलेट में ईएमडी रािश का स्थानांतरण: ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से िनिध का ऑनलाइन/ऑफलाइन स्थानांतरण।

चरण 4: बोली प्रक्िरया और नीलामी पिरणाम: इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता चरण 1, 2 और 3 को पूरा करने के बाद ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। कृपया ध्यान दें िक चरण 1 से चरण 3 को बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी ितिथ से पहले ही पूरा कर िलया जाना चािहए।

1. ई-नीलामी प्रक्िरया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड रखने वाले बोलीदाता ही भाग ले सकेंगे। िबना ईएमडी या उिचत दस्तावेज जमा िकए गए प्रस्ताव को तुरंत खािरज कर िदया जाएगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर िदए गए संपत्ित के आरक्िषत मूल्य का 10% जमा करना आवश्यक है।https://ebkray.in/ होगा

स्वचािलत रूप से BAANKNET.com पर पुनर्िनर्देिशत िकया गया। URL:https://BAANKNET.com या िबक्री नोिटस में, ई-नीलामी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एनईएफटी / आरटीजीएस / फंड ट्रांसफर के माध्यम से बयाना रािश जमा (ईएमडी) की जा सकती हैhttps://ebkray.in/स्वचािलत रूप से BAANKNET.com पर पुनः िनर्देिशत िकया जाएगा। URL:https://BAANKNET.com .बोली जमा करने की अंितम ितिथ 25.07.2025.केवल ऐसे इच्छुक बोलीदाता ही ई-नीलामी प्रक्िरया में भाग ले सकेंगे, िजन्होंने िनर्धािरत समय के भीतर ईएमडी का भुगतान कर िदया हो।

1. बोली मूल्य आरक्िषत मूल्य से अिधक होगा और बोलीदाता को अपने भिवष्य के प्रस्ताव को 10,000/- रुपये के गुणकों में सुधारना होगा। ई-नीलामी प्रक्िरया के समापन पर िजस बोलीदाता की बोली सबसे अिधक पाई जाएगी, उसे सफल बोलीदाता घोिषत िकया जाएगा और इस आशय का एक संचार इलेक्ट्रॉिनक मोड के माध्यम से जारी िकया जाएगा जो बैंक के प्रािधकृत अिधकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। सफल बोलीदाता को िबक्री मूल्य का 25% तुरंत (पहले से भुगतान िकए गए ईएमडी सिहत) जमा करना होगा, यानी उसी िदन या अगले कार्य िदवस से पहले नहीं, िबक्री मूल्य की शेष रािश िबक्री की पुष्िट की तारीख से 15 िदनों के भीतर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर बैंक खरीदार द्वारा पहले से भुगतान/जमा की गई रािश (ईएमडी सिहत) जब्त कर लेगा।

भुगतान में चूक होने पर संपत्ित को िफर से बेचा जा सकता है और चूककर्ता खरीदार का उस पर कोई भी दावा नहीं होगा। संपत्ित/संपत्ितयों पर देय और बकाया कोई भी वैधािनक और अन्य बकाया खरीदार द्वारा वहन िकया जाएगा।

1. संपत्ित की िबक्री के संबंध में बैंक/प्रािधकृत अिधकारी का िनर्णय अंितम, बाध्यकारी और िनर्िववाद होगा। बैंकिबना कोई कारण बताए िबक्री को रद्द/स्थिगत करने का अिधकार सुरक्िषत रखता है। प्रािधकृत अिधकारी उच्चतम बोली को स्वीकार करने के िलए बाध्य नहीं होगा और प्रािधकृत अिधकारी को िकसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अिधकार होगा। यिद िकसी भी आधार पर िबक्री की पुष्िट नहीं होती है या उसे रद्द कर िदया जाता है, तो बोलीदाता को िबक्री से संबंिधत सभी आकस्िमक व्ययों को वहन करना होगा और खरीदार/बोलीदाता िकसी भी तरह के मुआवजे या क्षित का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
2. एकल बोलीदाता के मामले में, एकमात्र बोलीदाता को ही सफल बोलीदाता माना जाएगा।
3. क्रेता को जहां भी लागू हो, टीडीएस का भुगतान करना होगा, िजसमें अन्य वैधािनक शुल्क, पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क आिद शािमल हैं। यिद िवक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अिधक है, तो आयकर अिधिनयम, धारा 194-आईए के अंतर्गत अिधकतम िवक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस/कर देय होगा तथा िवक्रय मूल्य पर सरकारी िनयमों के अनुसार (जहां भी लागू हो) जीएसटी अितिरक्त देय होगा।
4. संपूर्ण िबक्री मूल्य का भुगतान करने और िबक्री की औपचािरकताएं पूरी करने पर सफल क्रेता/बोलीदाता को

िबक्री प्रमाणपत्र (SARFAESI िनयम में िनर्धािरत प्रारूप के अनुसार) जारी िकया जाएगा। सफल क्रेता को

िबक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण प्राप्त करने के िलए सभी मौजूदा/भिवष्य के कर, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्िमक व्यय आिद का वहन करना होगा।

1. सफल बोलीदाता की ईएमडी रािश वॉलेट में रहेगी और सभी असफल बोलीदाताओं की रािश वॉलेट से िनकाली जा सकेगी।https://ebkray.in/ स्वचािलत रूप से BAANKNET.com पर पुनः िनर्देिशत िकया जाएगा। URL: https://BAANKNET.com ईएमडी रािश पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. प्रािधकृत अिधकारी के अिधकतम ज्ञान और िवश्वास के अनुसार, नीलाम की जा रही संपत्ित भार से मुक्त है,

िफर भी इच्छुक िनिवदाकर्ता को ई-नीलामी में भाग लेने से पहले स्वतंत्र रूप से सभी भार, शीर्षक दावा वैधािनक बकाया (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क / आयकर और या िकसी अन्य सरकारी एजेंसी की अपनी जांच करें) आिद की जांच करनी चािहए। सभी संपत्ितयां सभी ज्ञात या अज्ञात वर्तमान और भिवष्य के भार के साथ बेची जा रही हैं। प्रािधकृत अिधकारी िकसी तीसरे पक्ष के दावे, अिधकार और देनदािरयों के िलए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक शुल्क के अलावा संपत्ित पर िकसी भी दावे, शुल्क और भार के संबंध में िववेकपूर्ण पूछताछ करनी चािहए और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ित के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट करना चािहए। ई-नीलामी में भाग लेने से पहले संपत्ित का िनरीक्षण करना और खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करना िनिवदाकर्ताओं की िजम्मेदारी है। आप संपत्ित के

िनरीक्षण के िलए बैंक ऑफ इंिडया की संबंिधत शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

1. इच्छुक िनिवदाकर्ता के पास बोली से संबंिधत समुिचत संसाधन होने चािहए, इस संबंध में कोई आपत्ित स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के िलए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्िटिवटी सुिनश्िचत करनी होगी, इंटरनेट कनेक्िटिवटी, नेटवर्क समस्या, िसस्टम क्रैश डाउन,िबजली िवफलता आिद के िलए बैंक/सेवा प्रदाता िजम्मेदार नहीं होगा।
3. यह िबक्री प्रितभूित िहत (प्रवर्तन) िनयम-2002 में िनर्धािरत शर्तों तथा इस संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में बैंकों के िदशािनर्देशों के अधीन होगी।
4. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषा संस्करण के बीच िकसी भी िवसंगित के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को प्राथिमकता दी जाएगी।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - दस्तावेज़ का अंत --------------------------